

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

1671

दिनांक

28/07/2022

प्रार्थी :-

1. सिदिक पुत्र उमर
जाति मुसलमान, निवासी बीजराड़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. तगा पुत्र खेता, जाति जाट
2. सिकला पुत्र अली 3. करीम पुत्र उमर,
जाति मुसलमान, निवासी बीजराड़,
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 65/2019

दिनांक : 28.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. 596 रकबा 05.17 बीघा, खसरा सं. 598 रकबा 16.06 बीघा, खसरा सं. 1198/599 रकबा 29.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/

1672 to 1675

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी सिदिक
3. विप्रार्थीगण तगा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन
दिनांक
28/07/2022

(भागीरथ राव II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन